न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 46 / 2025

कृष्णा कस्वां पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जाट साकिन कस्वां फार्म हाउस, सूरतगढ़ रोड़ पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – प्रार्थीया

–:: बनाम ::–

1. बलदेव सिंह उर्फ बलदेवराज पुत्र बिश्नाराम जाति जाट साकिन रोयल सिटी दुलमानी रोड़ तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. योगेश कुमार पुत्र बलवंत सिंह जाति जाट साकिन पुराना वार्ड नं. 12 नया वार्ड नं. 22 तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति रामगढ़िया साकिन वार्ड नं. 17 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति रामगढ़िया साकिन वार्ड नं. 19 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. बलविन्द्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति रामगढ़िया साकिन वार्ड नं. 17 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. लक्ष्मण सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति रामगढ़िया साकिन वार्ड नं. 19 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता	प्रार्थीया
2. श्री महेन्द्र सेन	अप्रार्थी सं. 1, 3, 4, 6
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी सं. 7

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 16/07/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 251–क रा.का.अधि. अप्रार्थीगण के विरूद्व अधिवक्ता श्री हीरालाल बिरथलिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 9 पीबीएन–बी के खाता सं. 31 के प.नं. 44 / 303 के किला नं. 3 ता 5, 7, 8 कुल 1.265 हैक. नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 9 पीबीएन–ए के खाता सं. 27 के प.नं. 44 / 302 के किला नं. 13, 18, 19, 20, 21 की कुल 1.265 हैक. नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 9 पीबीएन–ए के खाता सं. 28 के प.नं. 44 / 302 के किला नं. 7, 14, 17, 22, 23, 24 / 2 कुल 1.392 हैक. नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.08.21 10:42:17 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 9 पीबीएन–बी के खाता सं. 29 के प.नं. 44 / 303 के किला नं. 1, 2, 9 ता 11

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

कुल 1.265 हैक. नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के चक 9 पीबीएन–बी के प.नं. 43/302 के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक मे 0.025–0.025 हैक. गै.मु. रास्ता स्वीकृत शुदा एवं चालू है। प.नं. 43/302 के किला नं. 25 मे पक्की पुलिया बनी हुई है जिससे अप्रार्थीगण अपनी – अपनी कृषि भूमि मे आवगमन करते हैं और प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 1–2 की कृषि भूमि के प.नं. 44/302 के किला नं. 21, 22, 23 मे से होकर अपनी कृषि भूमि आवगमन करती है और कभी कबार अप्रार्थी सं. 3 ता 6 की कृषि भूमि के प.नं. 44/303 के किला नं. 1, 2 मे से होकर अपनी कृषि भूमि मे आवगमन करती है। प्रार्थीया की कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 1–2 की कृषि भूमि के प.नं. 44/302 के किला नं. 21/.025, 22/.025, बैजानिव दक्षिणी दिशा, 23/.003 दक्षिणी पश्चिमी कुंट पूर्व से पश्चिमी लम्बा व इसी के समान्तर अप्रार्थी सं. 1, 2 की कृषि भूमि के प.44/302 के किला नं. 21/.003 दक्षिणी पश्चिमी कुंट व अप्रार्थी सं. 3 ता 6 की कृषि के प.नं. 44/303 के किला नं. 1/.025, 2/.025 बैजानिव उत्तरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता से अपनी कृषि भूमि मे आवगमन करती रहती है व कृषि औजार, फसल कटाई हेतू कम्बाईन इत्यादि लेकर जाती है। वर्तमान मे अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया की कृषि भूमि को सहमति से चल रहे रास्ता को बन्द कर दिया है। प्रार्थीया की कृषि भूमि को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई सरल, नजदीक एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है इसलिए प्रार्थीया की कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 1–2 की कृषि भूमि चक 9 पीबीएन–ए के प.नं. 44/302 के किला नं. 21/.025, 22/.025 बैजानिव दक्षिणी दिशा, 23/.003 दक्षिणी पश्चिमी कुंट पूर्व से पश्चिमी लम्बा रास्ता या इसके समान्तर अप्रार्थी सं. 1, 2 की कृषि भूमि चक 9 पीबीएन–ए के प.नं. 44/302 के किला नं. 21/.003 दक्षिणी पश्चिमी कुंट व अप्रार्थी सं. 3 ता 6 की कृषि भूमि चक 9 पीबीएन–बी के प.नं. 44/303 के किला नं. 1/.025, 2/.025 बैजानिव उत्तरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे। उक्त रास्ता के एवज मे प्रार्थीया अप्रार्थीगण को डीएलसी दर से दौगुणी राशि देने के लिए तैयार एवं तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के नाम से वर्णित कृषि भूमि चक 9 पीबीएन–बी के खाता सं. 31 के प.नं. 44/303 के किला नं. 3 ता 5, 7, 8 कुल 1.265 हैक. कृषि भूमि के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख मे अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कियाग या। अप्रार्थी सं. 1, 3, 4, 6 की ओर से श्री महेन्द्र सेन अधिवक्ता ने वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की ओर से निम्न प्रकार से है – यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 स्वीकार है। चक 9 पीबीएन–ए के खाता सं. 27 के प.नं. 44/302 के किला नं. 13, 18, 19, 20, 21 की कुल 1.265 हैक. मे से अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा व मिन अप्रार्थी सं. 2 का 2/3 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 स्वीकार है। प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 1–2 की कृषि भूमि के प.नं. 44/302 के किला नं. 21/.025 व अप्रार्थी सं. 1 [illegible] के प.नं. 44/302 के किला नं. 22/.025 बैजानिव दक्षिणी दिशा, 23/.003 दक्षिणी [illegible] पश्चिमी लम्बा रास्ता मे से आवगमन करती है और इसी [illegible] भूमि मे से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी सं. 1 पूर्णतः [illegible] प्रार्थीया की कृषि भूमि को स्वीकृत होने वाला रास्ता अप्रार्थी सं. 3 ता 6 की कृषि भूमि जो दक्षि[illegible] दिशा मे स्थित है को भी लगेगा और प्रार्थीया व अप्रार्थीगण उक्त रास्ता से अपनी – अपनी भूमि मे आवगमन कर सकेंगे। अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के प.नं. 44/302 के किला नं. 22 मे एक कच्चा पक्का कमरा टिन शेड व

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.08.21 10:42:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जिला हनुमानगढ़

एक झझेर टयूबवैल बन्द हालात मे है जिसकी आज रोज दोनो की बाजार किमतन 17,000/–रूपये तय किये है और रास्ता की एवज मे डीएलसी की दौगुणी राशि के हिसाब से अप्राथी सं. 1 ने 1,44,600/–रूपये इस प्रकार अप्राथी सं. 1 ने कुल 1,61,600/–रूपये जरिये चैक सं. 012131 दिनांक 30.06.2025 व अप्राथी सं. 2 ने 67,000/–रूपये जरिये चैक सं. 012132 दिनांक 30.06.2025 का प्रार्थीया के बैंक खाता का प्राप्त कर लिये है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अतः जबाव प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्राथी सं. 1–2 की कृषि भूमि चक 9 पीबीएन–ए के प.नं. 44/302 के किला नं. 21/.025, 22/.025 बैजानिव दक्षिणी दिशा, 23/.003 दक्षिणी पश्चिमी कुंट पूर्व से पश्चिमी लम्बा रास्ता किया जावे तो मिन अप्राथी सं. 1 पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है।

अप्राथी सं. 3, 4, 6 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से हैः– प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 स्वीकार है। चक 9 पीबीएन–ए के खाता सं. 27 के प.नं. 44/302 के किला नं. 13, 18, 19, 20, 21 की कुल 1.265 हैक. मे से अप्राथी सं. 1 का 1/2 हिस्सा व अप्राथी सं. 2 का 2/3 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 स्वीकार है। प्रार्थीया मिन अप्राथी सं. 1–2 की कृषि भूमि के प.नं. 44/302 के किला नं. 21/.025 व अप्राथी सं. 1 की कृषि भूमि के प.नं. 44/302 के किला नं. 22/.025 बैजानिव दक्षिणी दिशा, 23/.003 दक्षिणी पश्चिमी कुंट पूर्व से पश्चिमी लम्बा रास्ता मे से आवगमन करती है और इसी अनुसार मिन अप्राथी सं. 1–2 की कृषि भूमि मे से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मिन अप्राथी सं. 1–2 पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है। प्रार्थीया की कृषि भूमि को स्वीकृत होने वाला रास्ता अप्राथी सं. 3 ता 6 की कृषि भूमि जो दक्षिणी दिशा मे स्थित है को भी लगेगा और प्रार्थीया व अप्राथीगण उक्त रास्ता से अपनी – अपनी भूमि मे आवगमन कर सकेंगे। अप्राथी सं. 1 की कृषि भूमि के प.नं. 44/302 के किला नं. 22 मे एक कच्चा पक्का कमरा टिन शेड व एक झझेर टयूबवैल बन्द हालात मे है जिसकी आज रोज दोनो की बाजार किमतन 17,000/–रूपये तय किये है और रास्ता की एवज मे डीएलसी की दौगुणी राशि के हिसाब से अप्राथी सं. 1 ने 1,44,600/–रूपये इस प्रकार अप्राथी सं. 1 ने कुल 1,61,600/–रूपये जरिये चैक सं. 012131 दिनांक 30.06.2025 व अप्राथी सं. 2 ने 67,000/–रूपये जरिये चैक सं. 012132 दिनांक 30.06.2025 का प्रार्थीया के बैंक खाता का प्राप्त कर लिये है। अप्राथी सं. 2 ने अप्राथी सं. 1 की भूमि मे जाने के लिए रास्ता के एवज मे कोई राशि प्राप्त नही की है। अप्राथी सं. 1 उक्त झझेर कमरा का मलबा व टयूबवैल मे लगा पुराना सामान आज से एक माह के अन्दर – अन्दर अपने खर्चा से लेकर जाने के लिए बाध्य रहेगा। इसके पश्चात रास्ता की पैमाईश करके रास्ता की भूमि सम्पूर्ण करके रास्ता चालू किया जायेगा। वर्तमान मे रास्ता की भूमि एक झझेर कमरा व बन्द टयूबवैल बोर होने से रास्ता संकरा व टेड मेडा चालू है जो रास्ता स्वीकृत होने के पश्चात सम्पूर्ण रास्ता मिन अप्राथीगण की सहमति से खोला जावेगा।

अतः जबाव प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मिन अप्राथी सं. 1–2 की कृषि भूमि चक 9 पीबीएन–ए के प.नं. 44/302 के किला नं. 21/.025, 22/.025 बैजानिव दक्षिणी दिशा, 23/.003 दक्षिणी पश्चिमी कुंट पूर्व से पश्चिमी लम्बा रास्ता किया जावे।

अप्राथी सं. 5 असालतन उपस्थित हुआ ... न्यायालय ... से तलबी करवाई गई। अप्राथी सं. 2 व 5 को न्यायालय मे बार–बार आवाज लगाने पर भी न्यायालय मे उपस्थित होने पर अप्राथी सं. 2 व 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

प्रकरण मे तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चक 9 पीबीएन–ए के प.नं. 44/302 के किला नं. 21/.025 दक्षिणी दिशा पूर्व से पश्चिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.08.21 10:42:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

लम्बा, किला नं. 22/.025 दक्षिण दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा, 23/.003 दक्षिणी दिशा मे दक्षिणी पश्चिमी कोना रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मे आने वाले भूमि से संबंधित खाते के समस्त भूधारकों को राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गये रास्ता के अलावा पूर्व मे कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। प्रार्थ द्वारा चाहा गया रास्ता ही सबसे कम दूरी का है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नही है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों, शपथ पत्र एवं हमारे द्वारा स्वयम् द्वारा मौका निरिक्षण किया गया जिसमे अप्रार्थी सं. 4 ता 6 प्रभावित पक्षकार नही है एवं तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा के बाद तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी सं. 1–2 के नाम वर्णित कृषि भूमि चक 9 पीबीएन–ए के प.नं. 44/302 के किला नं. 21/.025 दक्षिणी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा, किला नं. 22/.025 दक्षिण दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा, 23/.003 दक्षिणी दिशा मे दक्षिणी पश्चिमी कोना रास्ता जबाव प्रार्थना पत्र अनुसार बिना किसी प्रतिफल के स्वीकृत किया जाता है। आदेशों की पालना मे तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे दिनांक 16/07/2025 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.08.21 10:42:17 IST
Reason: SelfAttested